**अत्यावश्यक**
**पंचायत उप चुनाव, 2025**

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

पत्रांकः– पं.नि. 30–108/2023 2980

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक–03.07.25

**विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025– मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्वक कराये जाने के उद्देश्य से Facial Recognition System का उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश संबंध में।**

**प्रसंग: आयोग का पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने का निदेश दिया गया है।

अवगत हैं कि ग्राम पंचायत के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाने के कारण पंचायत निर्वाचन में इसकी वृहदत्ता, जटिलता एवं संवेदनशीलता तथा स्थानीय अभिरूची के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए निर्वाचन में निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वच्छता, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन कराना अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण है। प्रभुत्व वाले अथवा दबंग अभ्यर्थी अपने क्षेत्र में दबाव डालकर या डरा धमकाकर असामाजिक तत्वों द्वारा स्थानीय मतदाता के बदले अन्य व्यक्तियों के माध्यम से मत प्राप्त करने में सफल होने और सही मतदाता के मत देने से वंचित हो जाने की संभावना बनी रहती है। इससे चुनाव जैसे महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक पर्व के प्रति आस्था एवं विश्वास में कमी आ जाती है और मतदान के प्रतिशत में ह्रास होता है।

वर्तमान में फोटोयुक्त मतदाता सूची से मतदाताओं का पहचान फोटो पहचान पत्र अथवा सोलह वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र से की जाती है।

मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण के साथ–साथ अभ्यर्थी और मतदाताओं के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु सूचना एवं विज्ञान आधरित तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। इसका उपयोग भी सरल है जिसके कारण वर्तमान में अनेक स्थान यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रवेश द्वारा पर, एयरपोर्टों, विभिन्न महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं, होटलों एवं NCRB में अपराधियों की पहचान आदि हेतु किया जा रहा है। अतः Facial Recognition System अत्यन्त ही सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय माध्यम है जिसके द्वारा बोगस मतदान/मतहरण तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान उद्भेदित की जा सकती है। बिहार राज्य में पंचायत निर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा भी पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में उक्त तकनीकी के माध्यम से मतदाताओं का पहचान सुनिश्चित कराने का निश्चय किया गया है।

वर्तमान में Facial Recognition System एक नई सूचना एंव विज्ञान आधरित तकनीक है। सर्वप्रथम Facial Recognition System के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन फोटोयुक्त मतदाता सूची के फोटो एवं Face का मिलान कर किया जायेगा जिससे सही मतदाता अपना मत का उपयोग करेगा। साथ ही कोई भी मतदाता एक मतदान केन्द्र पर मत का उपयोग कर लेता हैं तो फिर वह पूरे पंचायत क्षेत्र के किसी भी मतदान केन्द्र पर दुबारा मत का उपयोग नहीं कर सकेगा। जिससे कोई मतदाता दुबारा या बोगस मत न दे सके। साथ ही मतदान केन्द्र पर मतों का धांधली की संभावना न हो। आयोग मतों की धांधली तथा बोगस मतदान को रोके जाने हेतु दृढ़ संकल्प है। आयोग द्वारा मतदाताओं का कोई नया डाटा संग्रह नहीं किया जा रहा है अपितु पूर्व से फोटोयुक्त मतदाता सूची को Download कर वर्तमान में मतदाता का तत्समय लिए गये फोटो से उसका

सत्यापन कराया जाता है। मतदाता सूची संबंधी सूचना फोटो छोड़ कर पूर्व से Pablic domain में उपलब्ध है।

उक्त तथ्यों के आलोक में पंचायत निर्वाचन को स्वच्छ, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कराने के उद्देश्य से उक्त तकनीकी के माध्यम से मतदाताओं का पहचान सुनिश्चित कराने हेतु Facial Recognition System का उपयोग करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

विदित है कि पंचायत उप निर्वाचन हेतु Facial Recognition System का संचालन करने हेतु मतदान दल में मतदान पदाधिकारी P3B को दायित्व सौंपा गया है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243–K एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धरा 123 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन, नियमावली 2006 में नियम 60 एवं 116 के तहत् FRS तकनीक के उपयोग हेतु दिशा–निदेश दिये गये है जो निम्नवत् है :–

1. इस तकनीक का उपयोंग Android Support Mobile पर किया जाएगा, जिसके लिए मोबाईल में निम्न विशेषताओं का हो:–

a- Make: Samsung, Motorola, Oppo, Vivo, Redmi, One Plus, Xiomi or Nokia
b- Android Version: 9.0 or higher.
c- Processor: Octa core equivalent or higher.
d- Front camera: 2MP or above.
e- RAM: 3GB or above.
f- Storage: 16GB or above.
g- WIFI/ LTE incase sim is used for mobile data (optional)

2. पंचायत उप निर्वाचन हेतु प्रतिनियुक्त किये गये P3B के मोबाईल के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा।
3. मतदान कर्मी द्वारा सर्वप्रथम मोबाईल में पूर्व से संचालित सभी Apps को बंद कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् MDM (Mobile Device Maneger) को Instal किया जायेगा। उसके बाद सेवा प्रदाता द्वारा निर्मित App को Instal किया जायेगा। संबंधित क्षेत्र के आर.ओ. इस आशय का प्रमाण पत्र पोलिंग पार्टी के डिस्पैच के पूर्व सर्म्पित करेंगे कि डाटा इंट्री ऑपरेटर के द्वारा संबंधित App डाउनलोड कर लिया गया है एवं उनके मोबाईल में निर्धारित न्यूनतम Specification उपलब्ध है।
4. संबंधित मतदान कर्मी अपने user id मतदान केन्द्र संख्या एवं password (PIN No.) से इस App पर Sign in कर अपने संबंधित मतदान केन्द्र के फोटोयुक्त मतदाता सूची को download करेंगे जिसमें सभी मतदाताओं के फोटो रहेंगे।
5. इस App के उपयोग के पूर्व संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी अपना PIN डालकर Authenticate करेंगे तथा मतदाता सूची उन्हीं के मतदान केन्द्र से संबंधित है के संबंध में निश्चय करेंगे। मतदान आरंभ करने के पूर्व Mobile Opreter (P3B) द्वारा पहले Scalefusion ऐप खोला जायेगा फिर SvaDESH ऐप खेलेगा। जिसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा PIN दर्ज कर मतदान प्रारंभ करने की कार्रवाई की जायेगी। किसी कारणवश पीठासीन पदाधिकारी के परिवर्तित होने की स्थिति में पूर्व पीठासीन पदाधिकारी के PIN का ही उपयोग किया जायेगा, जिसे DIO द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
6. मतदान करने आये मतदाता का सत्यापन हेतु फोटो लेने से पहले मतदाता से मोबाईल में Concent लेना अनिवार्य है, **अर्थात् फोटो लेना स्वैच्छिक है।**
7. मतदान केन्द्र पर P3B एवं P1 के बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाए जहाँ पर वो मतदाता को दिवाल के आगे खड़ा कर फोटो ले सके साथ ही तस्वीर लेते वक्त मतदाता के द्वारा मास्क और चश्मा इत्यादि का उपयोग न किया जाए।
8. यह भी संभव है कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का फोटो बहुत पुराना या फोटो पूर्व का साफ नहीं रहने पर फोटो का मिलान नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों एवं पोलिंग ऐजेंट की सहायता से पहचान सही पाये जाने पर उन्हें मतदान की अनुमति देंगे। मुख्य रूप से इस तकनीक का इस्तेमाल दुबारा मतदान करने वाले एवं बोगस वोटिंग की पहचान करना है। वैकल्पिक दस्तावेज के संबंध में पूर्व से आयोग का निदेश है।

9. अगर उसी मतदान केन्द्र पर मतदाता दुबारा अन्य पहचान पत्र के साथ मतदान देने आयेगा तो App पर तत्काल फोटो लिये जाने पर उस मतदाता के पूर्व का फोटो एवं किस क्रमांक पर उसने किस समय पर मतदान किया है, वह मोबाईल पर प्रदर्शित होगा एवं पीठासीन पदाधिकारी नियमानुकुल कार्रवाई करेंगे।

10. P3B कर्मी सभी डाटा को समय–समय पर sync भी करेंगे ताकि अगर कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मत डालने के पश्चात उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर मत डालने आएगा तो भी उस मतदाता की पहचान हो जाएगी एवं मतदान केन्द्र से संबंधित उक्त मतदाता ने जिस क्रमांक पर मत डाला है उसका फोटो एवं समय प्रदर्शित होगा। इस प्रकार बोगस एवं डुप्लिकेट मतदाता की पहचान होगी। Internet नहीं होने की स्थिति में भी Offline कार्य जारी रहेगा।

11. मतदान समाप्ति के पश्चात् end of poll की संपुष्टि भी पीठासीन पदाधिकारी अपने PIN के साथ करेंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त मोबाईल का डाटा राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। जिससे बोगस एवं डुप्लिकेट मतदाता की पहचान की जाएगी। वेंडर द्वारा डाटा का कहीं अन्य उपयोग नहीं होगा एवं मोबाईल में कोई भी डाटा save नहीं रहेगा।

12. दिनांक 07.07.2025 को तृतीय प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन पदाधिकारी को भी इन सभी प्रणाली के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय।

13. इस कार्य को पर्यवेक्षण हेतु एक नोडल पदाधिकारी (ARO) को प्राधिकृत करना सुनिश्चित की जाय। साथ ही तकनिकि सहायता हेतु पूर्व की भांति DIO/IT Managar को Nodal Officer बनाया जाय एवं उनके नाम, पदनाम एवं मोबाई नं0 से आयोग को अवगत कराया जाय।

14. Deshboard के अनुश्रवण हेतु निर्वाची पदाधिकारी/जिला नियंत्रण कक्ष में पूर्व की भांति व्यवस्था की जाय।

15. यदि पीठासीन पदाधिकारी को अपने जाँच में यह साबित हो जाता है कि मतदाता किसी अन्य मतदाता के स्थान पर मतदान करने हेतु उपस्थित हुआ है या मतदाता द्वारा किसी अन्य मतदान केन्द्र पर मताधिकार का प्रयोग पहले किया जा चुका हो, तो पीठासीन पदाधिकारी उक्त मतदाता के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–172 "निर्वाचनों में प्रतिरूपण" तथा 174 "निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड" तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 130 (9) के कंडिका–3 तहत** उक्त मतदाता को मतदान केन्द्र पर उपस्थित सुरक्षा बलों/स्थानीय थाना को विधिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया जायेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई की जाए तथा तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– पं.नि. 30–108/2023 2980 पटना, दिनांक 03.07.25

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– पं.नि. 30–108/2023 2980 पटना, दिनांक – 03.07.25

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– पं.नि. 30–108/2023 2980 पटना, दिनांक – 03.07.25

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।